Year-5 Volume: II, April-June, 2023 Issue-18 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
. Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

8. औपनिवेशिक भारत में भारतीय प्रेस: एक समीक्षात्मक अध्ययन

कुलदीप कुमार
शोधार्थी
जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग ,बाबासाहेब भीमराव
अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ,226025
मो.8009263837, ईमेल- 80kumar.kuldeep@gmail.com

डा. रचना गंगवार
सहायक प्रोफेसर, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग,बाबासाहेब
भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226025
मो. 9648434415, ईमेल –rachanagangwar17@gmail.com

शोध सारांश

औपनिवेशित काल में अंग्रेजों के खिलाफ़ भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा कई सारे आन्दोलन चलाए गए। औपनिवेशित शासन को प्रेस कीखुली संवाद प्रक्रिया रास नहीं आ रही थी। ऐसे में प्रेस की विश्वसनीयता व स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए भी कई सारी कोशिशें की गयीं। स्वतंत्रता आन्दोलन को मजबूत बनाने व अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों को जनता के सामने रखने एवं उनका विरोध करने में समकालीन पत्र-पत्रिकाओं ने अपना संपूर्ण योगदान दिया। पत्रकारिता के बढ़ते बेबाक अंदाज के कारण औपनिवेशित सरकार ने समय-समय पर इसपर कई प्रतिबंध भी लगाये। उस दौर के समाज सुधारक रहे राजा राममोहन राय व अन्य लोगों ने सरकार द्वारा लाये गये प्रतिबंधों का विरोध भी किया। औपनिवेशित दौर में मौजूदा सरकार द्वारा जिन प्रतिबंधों को अमल में लाया गया और उनका क्या असर रहा समकालीन पत्रकारिता पर व उनके संघर्ष का अध्ययन इस शोध पत्र में किया जाएगा। शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य, औपनिवेशित काल में भारतीय पत्रकारिता पर लगाए गये प्रतिबंधों का अध्ययन करना है।

कुंजी शब्द – औपनिवेशित भारत , भारतीय पत्रकारिता, भारतीय प्रेस, प्रतिबंध, स्वतंत्रता आंदोलन,समाचार पत्र, पत्रिकाएं, स्वतंत्रता आंदोलन , ईस्ट इंडिया कंपनी , सरकारी नीतियाँ

प्रस्तावना

शक्तिशाली देश द्वारा, जब किसी अन्य देश पर धन प्राप्ति या शासन के उद्देश्य से नियंत्रण किया जाता है, तो यह व्यवस्था उपनिवेश कहलाती है। इस व्यवस्था में किसी अन्य देश पर शासन करने वाला देश, अपनी नीतियों को उपनिवेश बनाए गए राष्ट्र पर लागू कर वहाँ अपनी भाषा, धर्म, आर्थिक व्यवस्था व सामाजिक पद्धत्ति को अमल में लाने के लिए प्रयासरत रहता है। इस व्यवस्था में उपनिवेशित राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर, खनिज सम्पद्धा को

Year-5 Volume: II, April-June, 2023 Issue-18 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

नुकसान पहुँचाया जाता है। और शासन करने वाला राष्ट्र या राजा, वहाँ के संसाधन को अपनी नीतियों के अनुसार उपयोग में लाता है।

पन्द्रवीं शताब्दी की शुरूआत कुछ इसी व्यवस्था के आधार पर हुई, जो बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक रही है। मुख्यतया इस व्यवस्था के केंद्र में यूरोपियन देश रहे हैं। पुर्तगाली, फ्रांसीसी व ब्रिटिशर्स उपनिवेशित युग के सबसे मजबूत राष्ट्र साबित हुए हैं। जो दुनिया के ज्यादातर हिस्से को अपना उपनिवेश बनाकर उसपर शासन करते रहे हैं। भारत में औपनिवेशित काल की शुरूआत 16वीं सदी के अंत व 17वीं सदी के प्रारम्भिक समय में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन से होता है।भारत में मुद्रण कला की शुरूआत 1557 को गोवा में हुई। यह उपनिवेशवाद के पूर्व का समय था। परन्तु यहाँ पत्रकारिता का शुभारम्भ 29 जनवरी 1780 को एक अंग्रेज व्यक्ति जेम्स ऑगस्टक हिक्की द्वारा हुई। हिक्की ने भारत का पहला अख़बार 'बंगाल गजट' निकाला। यह दो शीट का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था।इसमें सरकार की नीतियों व उनके कार्यों से संबंधित खबरों को मुख्य रूप से स्थान दिया गया। ईस्ट इण्डिया कंपनी की आलोचना करने पर 1782 में हिक्की के बंगाल गजट को बंद कर दिया गया। हिक्की की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कई अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें सरकारी गतिविधियों को केन्द्र में रखा जाता था। एवं इनकी आलोचना भी की जाती थी। जिस कारण से सरकार व प्रेस के बीच अक्सर महौल गर्म रहता था। (तिवारी,2014)

औपनिवेशित काल में ब्रिटिश सरकार, भारतीय प्रेस को कमजोर करने के लिए समय-समय पर कई कानून लेकर आई। 1799 में प्रेस रेग्यूलेशन एक्ट, 1857 में लाईसेंसिंग एक्ट, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस कानून व 1910 में भारतीय प्रेस कानून (जिसे 1922 में संशोधित कर 'प्रेस लॉ रिपील एमेण्डमेंट एक्ट' कर दिया गया)। उपनिवेश सरकार द्वारा अमल में लाये गए इन सभी अधिनियमों से भारतीय प्रेस को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद प्रेस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सरकार के मंसूबों को जनता के सामने लाने में कोई कसर नहीं रहने दी।(वैदिक, 2016)

औपनिवेशित समय में जितने भी प्रेस विरोधी अधिनियम सरकार द्वारा लागू किए गए, उन सभी का इरादा सरकारी नीतियों को प्रेस की आलोचना से बचाना था। अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत प्रेस की हत्या करने को अमादा थी, परन्तु भारतीय प्रेस के पुरोधाओं ने इसे हकीक़त नहीं बनने दिया। समाचार पत्र – पत्रिकाएं किसी भी राष्ट्र के लिए उसके भविष्य निर्माण का काम करती हैं। इनमें प्रकाशित होने वाली सामग्री विचारों को दिशा प्रदान करती हैं, जो आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आज जिस भारतीय प्रेस को हम पढ़ व समझ रहे हैं उसके पीछे, उसके संघर्ष की कहानी है। राजाराम मोहन राय, शिशिर घोष, तिलक, महात्मा गांधी, आदि विभूतियों ने दमनकारी औपनिवेशित युग मेंप्रेस को जीवंत बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रताप, केसरी, दिग्दर्शन, संवाद कौमुदी जैसे अनगिनत समाचार पत्र – पत्रिकायें भारतीय प्रेस को युगकालीन बनाने में मुख़र रूप से प्रयासरत रहीं। इस दौर में भारतीय लोगों के अलावा यूरोपियन भी प्रेस को अपना कौशल प्रदान कर, उसे मजबूत बनाने का काम कर रहे थे।

साहित्य अवलोकन–

Year-5 Volume: II, April-June, 2023 Issue-18 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
. Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी 1600में भारत आयी। इसके पहले डच व्यापार के लिए भारत आ चुके थे। 1557 में भारतीय मुद्रण कला का शुभारम्भ हो चुका था। पहली पुस्तक 'दौत्रिना क्राइस्टा' का प्रकाशन किया गया। तदुपरांत आने वाले समय में भारत के अनेक जगहों पर प्रेस स्थापना का कार्य हुआ। भीमजी पारिख नामक व्यक्ति ने 1674 में छपाई मशीन स्थापित की, दक्षिण में मद्रास व पाण्डिचेरी में मशीने लगी। देश में छपाई कला का श्रीगणेश होने के लगभग ढाई सौ साल बाद 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र 'द बंगाल गजट' प्रकाशित हुआ। जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक अंग्रेज ने निकाला था। इससे पहले कलकत्ता में विलियम बोल्ट नामक अंग्रेज व्यक्ति ने अख़बार निकालने का प्रयास किया था, जो असफल रहा।(आशा ,2014)

भारतीय प्रेस का आह्वान करने वाला 'कलकत्ता'देश का पहला शहर बना, यहाँ से कई वर्षों तक देश के सर्वाधिक अखबार निकलते रहे। सन 1826 से 1867 तक, भारत में प्रेस साहित्यिक एवं सामाजिक समस्याओं को दर्शाता रहा। 1829 में बंगाल में 'सती प्रथा' पर रोक लगी व विरोध स्वरूप बंगाल प्रेस में भारी परिवर्तन हुआ। 1826 में पं. जुगुल किशोर शुक्ल व मन्नु ठकार ने देश का पहला हिन्दी अख़बार 'उदन्त मार्तण्ड' बंगाल से प्रकाशित किया। पत्र, वित्तीय परेशानियों एवं कोई सरकारी सहायता न मिल पाने के कारण बन्द हो गया। देखा जाये तो उपनिवेशित दौर में कई ऐसे समाचार पत्र रहे जो आर्थिक व सरकारी कारणों की वजह से निरंतर आगे नहीं चल पाये। 1799 प्रेस सेंसरशिप एक्ट, 1857 लाइसेंसिंग एक्ट, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस कानून व 1910 में भारतीय प्रेस कानून, इन सभी अधिनियमों का मकसद, भारतीय नवीन मुख़र पत्रकारिता को कमजोर करना था। (मिश्र ,2011)

हिक्की के पत्र में सरकारी नीतियों व कार्यों को छापा जाता था, जिसमें कई बार इन नीतियों की आलोचना भी होती थी। मौजूदा गवर्नर जनरल व हिक्की के बीच, अख़बार में छपी खबरों को लेकर काफी तकरार भी हुई। 1781 में हिक्की पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उसे दोषी ठहराया गया। हिक्की को एक वर्ष की सजा के साथ 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। समाचार मालिक व गवर्नर के बीच विवाद बढ़ता ही गया, जिसके चलते गवर्नर ने हिक्की प्रिंटिग प्रेस को बन्द करने का आदेश दे दिया। हिक्की ने कोर्ट में कई बार अपील किया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला और प्रेस को 1782 में बन्द करना पड़ा। (अग्रवाल ,2020)

औपनिवेशित काल में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रेस को कमजोर करने के लिए कई अधिनियम पारित किये। नियमों की कठोरता भारतीय मुखर पत्रकारिता का गला घोंटने के लिए प्रयासरत थी। 1799 में आये प्रेस रेग्यूलेशन कानून ने अखबारों को प्री – सेंसरशिप करने की बात कही। कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी वस्तु पत्र – पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं की जाएगी, जो सरकार याउसकी नीतियों का विरोध करती हो। सभी अखबार सरकारी जाँच के बाद प्रकाशित होंगे। आरम्भ में जब यह कानून अमल में लाया गया तब इसमें सिर्फ अखबार को रखा गया था, परंतु 1807 में इसकी सीमाओं का विस्तार किया गया व सभी प्रकार के प्रकाशन जैसे – अखबार, पत्रिकाएं, किताबें व पम्पलेट को भी शामिल कर लिया गया। (चतुर्वेदी ,2013)

जॉन एडम द्वारा 1823 में प्रेस के लिए लाइसेंस नियमन को प्रस्तावित किया गया। इस अधिनियम का सबसे विशेष प्रावधान यह था कि बिना लाइसेंस के अखबार निकालना दण्ड प्रक्रिया का हिस्सा बन गया तथा इसके दायरे में सिर्फ भारतीय भाषाओं के अखबार व उनके संपादक थे। भारतीय पत्रकारिता के मजबूत स्तंभ 'राजा राम मोहन

Year-5 Volume: II, April-June, 2023 Issue-18 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
. Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

राय' को इस लाइसेंसिंग व्यवस्था के कारण अपने पारसी भाषा में प्रकाशित होने वाले अखबार 'मिरात-उल-अखबार' को बंद करना पड़ा। 1835 में गवर्नर जनरल मेटकॉफ द्वारा लाइसेंसिंग प्रक्रिया को खत्म कर दिया। जिससे दम तोड़ती भारतीय प्रेस को कुछ राहत मिली। मेटकॉफ के इस प्रयास से उसे 'प्रेस का मुक्तिदाता' के रूप में जाना गया। यही वो दौर था, जब हिन्दीभाषी प्रदेशों से हिन्दी में, बनारस अखबार, मार्तण्ड, ज्ञानदीप, सुधाकर, कविवचन सुधा, व अनेक पत्र प्रकाशित हुए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) के बाद भारतीय प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिये गए। अब सरकार को यह अधिकार था, कि वो किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र या मुद्रित सामग्री के प्रकाशन व प्रसार को रोक सकती थी। (पंत,2001)

19वीं सदी की शुरूआत से लेकर अंत तक भारतीय प्रेस के लिए सबसे संघर्ष का दौर रहा। इन वर्षों में कई अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा अमल में लाए गए। 1878 में वाइसराय लिटन द्वारा प्रस्तावित अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इस अधिनियम ने भारतीय प्रेस समाज की कमर तोडने का प्रयत्न किया।एक ओर देखा जाये तो, इस दौर को भारतीय प्रेस के लिए अंग्रेजी पत्र – पत्रिकाओं का स्वर्णिम समय मान सकते है। क्योंकि अंग्रेजी के कई अखबार 70 व 80 के दशक में प्रकाशित होना शुरू हुए। इनमें, 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया (1861), द पायनियर (1861), द स्टेटसमैन (1875) और द हिन्दू (1878)' हैं। यह वो अखबार हैं जो आज भी भारतीय प्रेस की रीढ़ बने हुए हैं।(पंत, 2015)

वर्नाकुलर अधिनियम में, जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान की गयी, जिसमें वो किसी भी स्थानीय समाचार पत्र में छपी सरकार विरोधी सामग्री की जाँच कर सकता था। प्रिन्टर व प्रकाशक को सुरक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। जिसे उपरोक्त किसी अपराध के दोबारा होने पर जब्त किया जा सकता था। कोई भी स्थानीय समाचार पत्र सरकारी सेंसर को प्रमाण प्रस्तुत कर अधिनियम के संचालन से छूट प्राप्त कर सकता था। एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट की कार्रवाई अंतिम थी और अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। एक्ट की निरकुंशता सिर्फ स्थानीय भाषा के अखबारों के प्रति थी, जिसके कारण प्रेस के बीच आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। सत्ता के पक्षधर राजाशिव प्रसाद सितारे हिन्द के 'बनारस अखबार' पर पुलिस के बारे में झूठी खबर छापने पर 1000 रुपए का जुर्माना किया गया। हिन्दी साहित्य के महान लेखक भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हिन्दी पत्र में लिकना शुरू किया तो उन्हें सरकार ने जो 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' का पद दे रखा था वह छीन लिया गया।(सिंह,2017)

औपनिवेशित काल में प्रेस की संघर्षशील भूमिका को नजरांदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब इसके इतने तटस्थ होने के कारण भारतीय प्रेस आज इतने सुदृढ़ एवं लोकप्रिय स्वरूप में हमारे सामने है। 20वीं सदी के आरम्भ में देश के अन्दर कईमुद्दे सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए थे। 1907 के नागपुर – सूरत अधिवेशन के मुद्दे पर कांग्रेस में दरार पड़ चुकी थी, बंगाल विभाजन (1905) में हो चुका था। वहीं दूसरी ओर देश भर में होमरूल की माँग की जा रही थी। तिलक – शैली और मॉडल की राजनीति का हिन्दी पत्रकारिता में शुरूआती दौर था। मदन मोहन मालवीय जी 1909में इलाहाबाद से अंग्रेजी पत्र 'लीडर' का प्रकाशन शुरू कर चुके थे। भारतीय प्रेस समय के साथ – साथ और मुखर व मजबूत स्थिति में आ गया था। ऐसे में अंग्रेज सरकार की बाधाएँ बढ़ती ही जा रही थी।

Year-5 Volume: II, April-June, 2023 Issue-18 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
. Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

इसलिए उन्होंने अखबार की विध्वंसक आलोचना से बचने के लिए 1910 में सरकार द्वारा प्रेस एक्ट लागू कर दिया। कलकत्ता, भारतीय प्रेस के लिए अब तक गढ़ बन चुका था। अनगिनत समाचार पत्र – पत्रिकाओं का यहाँ से प्रकाशनहो रहा था। अंग्रेज 1911 में अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले गए एवं वहाँ दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। यह स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। प्रेस आपसी बटवारे से अलग – अलग पार्टियों का समर्थन कर रही थी। एक ओर एंग्लो – इण्डियन प्रेस अंग्रेजों के साथ थी, तो स्थानीय प्रेस होमरूल की पक्षधर थी। उर्दू प्रेस का रूझान मुस्लिम लीग की ओर था।(वाधवा, 2014)

भारतीय प्रेस 20वीं सदी के पहले कुछ दशकों के दौरान राजनेताओं व आन्दोलनकारियों के लिए प्रेरणा बन गयी थी। भाषाई प्रेस बंगाल और महाराष्ट्रमें विकसित थी। तिलक, गोखले व बनर्जी जैसे बड़े नेता इन पत्रों में जान डालने का काम कर रहे थे।

परिणाम एवं समीक्षात्मक विश्लेषण-

औपनिवेशित समय में भारतीय प्रेस की नीव का निर्माण हुआ। इस दौर में कई समाचार पत्र प्रकाशन में आए। सरकार द्वारा प्रेस (मुख्यता स्थानीय भाषा के पत्रों) पर जिन अधिनियमों को लागूकिया गया उनकी कठोरता व जटिलता के कारण तत्कालीन कई अखबारों को बन्द करना पड़ा, या फिर अपनी भाषा बदलनी पड़ी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्यता भारतीय भाषाओं के अखबारों के लिए लाया गया था। इसमें अंग्रेजी अखबारों को शामिल नहीं नहीं किया गया था। यह एक बड़ा कारण था जिसके कारण बंगाली भाषी पत्र 'अमृत बाजार पत्रिका' को अपनी भाषा बदलकर अंग्रेजी करनी पड़ी थी। इस काल में कई अखबार आम जनता के प्रतिनिधित्व बनकर भी उभरे जो बाद में किसी एक पक्ष के समर्थन में हो गए। 'हिन्दू पैट्रियट' (1853) गिरीश चन्द्र घोष द्वारा सम्पादित किसी भी भारतीय द्वारा निकाले जाने वाला ऐसा अखबार था, जिसमें भारतीय का सही प्रतिनिधित्व होता था। कंपनी शासन के अंतिम समय में इस पत्र नें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में यह अखबार जमींदारों का पक्षधर बन गया। (जोशी,2008)

औपनिवेशित भारत में जब यहाँ की संपद्धा का दोहन हो रहा था, तब उसी दौरान इसकी सांस्कृतिक धरोहर को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तत्कालीन पत्र – पत्रिकाओं ने इन मुद्दों को जोर-शोर से अपने अखबारों में स्थान दिया। इसका असर यह हुआ कि औपनिवेशित सरकार को पत्रों की आलोचनाओं से बचने के लिए सख्त अधिनियमों को अपनाना पड़ा, जिससे भारतीय प्रेस और मुखर होता गया। सरकार द्वारा प्रेस को नियंत्रित करने के लिए लाए गए कानूनों के विरोध में समाचार सम्पादक, आन्दोलन कर रहे थे। 1824 में प्रस्तावित एक्ट के विरोध में महान समाज सुधारक राजाराम मोहन राय ने आन्दोलन किया। लाइसेंसिंग एक्ट के कारण इन्हें अपना 'मिरात-उल-अखबार' बन्द करना पड़ा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा अमल में लाए गये दमनकारी अधिनियम, प्रेस को अपने कब्जे में लेकर उसका शोषण करने पर अमादा थे। सरकार के कठोर कानून व्यवस्था के कारण भारतीय प्रेस अपनी विश्वसनीयता व लोकप्रियता बनाए रखने के लिए दिन-ब-दिन पत्रकारिता के नए आयामों को खोजने में लगा हुआ था। साथ ही प्रेस अपनी अभिव्यक्ति के लिए हर दिन प्रयासरत था।

Year-5 Volume: II, April-June, 2023 Issue-18 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
. Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

निष्कर्ष-

सर्वेक्षण टूल की सहायता से प्राप्त सूचनाओं एवं जानकारी का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट होता है कि औपनिवेशित दौर में भारतीय प्रेस व्यवस्था को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की गयी। दमनकारी व सख्त अधिनियम के जरिए लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को ढहाने में मौजूदा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद भारतीय समाचार पत्र – पत्रिकाएं अदम्य साहस दिखाते हुए निरन्तर संघर्षरत रहे। तकालीन स्थितियों को समझते हुए प्रेस सरकारी नीतियों व कार्यों को अपने अखबार में प्रकाशित करता रहा, साथ ही आम जन भागीदारी को भी पत्रों के माध्यम से सामाजिक पटल पर प्रस्तुत करने में निरंतर प्रयासतर रहा। अधिनियमों की कठोरता के चलते स्थानीय समाचार पत्र – पत्रिकाओं को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उससे एक बात निश्चित रूप से स्पष्ट दिखायी देती है कि कानून किसी एक भाषा की लोकप्रियता व सत्यनिष्ठा को खत्म कर देना चाहते थे।

वर्नाकुलर प्रेस एक्ट व लाइसेंसिंग एक्ट देशी भाषी प्रेस के लिए किसी विभीषका से कम साबित नहीं हुए। पत्रकारिता की खुली अभिव्यक्ति देश व समाज को जागरूक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करती है। जिस राष्ट्र में प्रेस स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है, साथ ही समाज व देश की प्रत्येक वैचारिक समस्या को वैश्विक मंच पर लाने की कोशिश करता है, वह पत्रकारिता कल्याणकारी साबित होती है। औपनिवेशित दौर में भी कई महान समाज सुधारकों ने अपनी सोच व बात को प्रेस के माध्यम से मजबूत बनाया एवं नए आयामों को गढ़ने का प्रयास किया। प्रेस के साहस का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था वो आज एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। वर्तमान समय में भारतीय प्रेस की वैश्विक पटल पर जो छवि बनी हुई है उसे और सुदृढ़ व बेहतर करने की जरूरत है, जिससे भारतीय प्रेस की रैंकिंग में सुधार आए।

संदर्भ सूची-

1. तिवारी, अर्जुन. (2014). पत्रकारिता का वृहद इतिहास. वाणी प्रकाशन. पृष्ठ सं 27
2. वैदिक, वेदप्रताप. (2016). हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम, भाग -1. हिन्दी बुक सेंटर. पृष्ठ सं 22
3. गुप्ता, आशा. (2002). हिन्दी पत्रकारिता की विकास यात्रा तब से अब तक. कनिष्का प्रकाशन व वितरण, नई दिल्ली. पृष्ठ सं 6, 21
4. मिश्र, डॉ कृष्णबिहारी. (2011). हिन्दी पत्रकारिता. भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन , वाराणसी. पृष्ठ सं 19,51,336
5. अग्रवाल, वीर बाला. (2020). पत्रकारिता एवं जनसंचार मार्गदर्शिका ,कान्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी,नई दिल्ली. पृष्ठ सं 95

The Asian Thinker

6. चतुर्वेदी, जगदीश्वर. (2013). मीडिया समग्र हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास. स्वराज प्रकाशन, दिल्ली. पृष्ठ सं 248
7. पंत, नवीनचंद्र. (2001). पत्रकारिता के मूल सिद्धांत. कनिष्का पब्लिशर्स , नई दिल्ली. पृष्ठ सं 28
8. पंत, नवीनचंद्र. (2015). पत्रकारिता का इतिहास. तेज प्रकाशन , नई दिल्ली. पृष्ठ सं 48,66
9. सिंह, मीनाक्षी. (2017). हिंदी पत्रकारिताका इतिहास. ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली. पृष्ठ सं 61,94,107
10. Wadhwa, Priyanka. (2014). History of Journalism. Murarilal& sons, Delhi. P.15& 49
11. जोशी, रामशरण. (2008). मीडिया विमर्श. सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली. पृष्ठ सं 25,42,55
12. Conboy, Martin. (2006). Journalism A Critical History. Sage Publications, New Delhi. p.88
13. दीक्षित, प्रो. सूर्यप्रसाद. जनपत्रकारिता एवं जनसंपर्क, संजय प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ सं 137
14. अरोडा, आर. पी. (2019). डेमोक्रेसी एवं प्रेस. ओमेगा प्रकाशन नई दिल्ली. पृष्ठ सं 73
15. मौर्य, राम प्रसाद. (2018). भारतीय पत्रकारिता. अर्जुन पब्लिशिंग हाउस , नई दिल्ली. पृष्ठ सं 27
16. त्रिपाठी, जयप्रकाश. (2014). मीडिया हूँ मैं. अमन प्रकाशन, कानपुर. पृष्ठ सं 30,310
17. खोत, डा.सिद्राम कृष्ण. (2013). जनसंचार एवं पत्रकारिता कल और आज. रोली बुक डिस्ट्रब्यूटर्स, कानपुर. पृष्ठ सं 24,44
18. सिंह, डा. अजय कुमार. (2013). सिर्फ पत्रकारिता. लोक भारती,इलाहाबाद. पृष्ठ सं 11,48
19. प्रसाद, डा. गोविन्द, व पाण्डेय, अनुपम. (2017). पत्रकारिता के विविध आयाम, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस प्राईवेट, नई दिल्ली. पृष्ठ सं 13,65

The Asian Thinker